lease any of the 20 listed harmful amines, would not be allowed for sale in Germany.

In the context of the German Government's legislation, the Government of India has initiated steps to review the related dyes and to identify alternate permissibe dyes so as to maintain the tempo of exports. Besides, the Textile Committee, different Textile Export Promotion Councils, Textile Research Associations etc. are actively engaged in creating awareness among the textile industry and trade regarding the dyes to be used for exports of eco'friendly textiles in line with the German legislation .

जर्मनी को कपड़े का निर्यात

7908. श्री रामजेठमलानी :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 मई, 1995 के "पायनियर" में "टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स टू जर्मनी इन ट्रबल" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि भारत में कपड़ा बनाते समय प्रयोग किये जाने वाले कतिपय रसायन जर्मनी में प्रतिबंधित हैं ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे रसायनों के नाम क्या-क्या हैं तथा क्या ये रसायन मनुष्यों के लिए भी हानिकारक हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) क्या यह सच है कि भारत में वस्त्र उद्योग में इन रसायनों के प्रयोग के कारण भारत से जर्मनी को किये जाने वाले कपड़े के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (च) जर्मन सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके अनुसार ऐसे वस्त्र उत्पाद जिसका मानव शरीर के साथ स्पर्शमात्र अस्थाई प्रकृति का न हो तथा जो ऐसे ऐजो रंजकों से रंगा तथा प्रिन्ट किया गया है जो कि 20 सूचीबद्ध हानिकारक अमीन्स में से किसी भी नाशक अमीन्स को रिलीज कर सकते हैं, को जर्मनी में बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी । उन 20 अमीन्स की सूची विवरण के रूप में संलग्न है जिन्हें जर्मन के प्राधिकारियों द्वारा कार्तिनोजेनिक अथवा अन्यथा हानिकारक पाया गया है ।

जर्मन सरकार के ऐसे कानून के संदर्भ में भारत सरकार ने निर्यातों की गति बनाए रखने के लिए उन रंजकों की समीक्षा करने तथा वैकल्पिक अनुमेय रंजकों को अभिज्ञात करने के लिए कदम उठाए हैं । इसके अतिरिक्त, वस्त्र समिति विभिन्न वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषदें, वस्त्र अनुसंधान संघ जर्मन कानून के अनुरूप पर्यावरण-अनुकूल वस्त्रों के निर्यातों के लिए प्रयुक्त रंजकों के संबंध में वस्त्र उद्योग तथा व्यापार के प्रति जागरूकता पैदा करने के कार्य में सक्रियता से लगे हुए हैं ।

विवरण

उन अमीन्स की सूची जिन्हें जर्मन के प्राधिकारियों द्वारा कार्सिनोजेनिक या मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया है:-

1. बैनजीडिन
2. 4-क्लियोरो-ओ-टोलोइडिन
3. 2-नेपकेलेनिल
4. 4-अमिनो डिफेनिल
5. ओ-टोलोइडिन (3,3 डिमेथिलबेंजिडिन)
6. ओ-डाइनिसीडिन (3,3 डिमेथाक्सी) बेनेंजिडिन
7. पो-क्लोरोनिलिन

8. ओ–टोलोईडिन

9. 3, 3 डिक्लोरोबेनेजिडिन

10. ओ–अमिनोजोटोलूइन

11. 2–अमिनो –4 नाइट्रोटोलूइन

12. 2. 6 टोलोब्लेंडिमिन
(4–मैथिल-1), 3–फिनेलेनेडिमाइमिन)

13. 6–मेथोक्सी–एम–फेनीलेनेडिमिन
(2, 4–डाई–मिनोनिसोले)

14. 4. 6 डिस्मिनोंडिनिमेथेन

15. 3. 3 डिमिथिल
4, 4'' डिस्मिनोडिफेनिमेथेन

16. 2, मेथोक्सी– 5–मेथ्लालिनि
(पी–क्रेसिडिन)

17. 4, 4'' मेथेलिन–बिस–
(2–क्लोरेनिलिन)

18. 4, 4 ओक्सीडिनिलिन

19. 2, 4, 5–ट्रिमेथिलेलिन

20. 4, 4'' थिओडियनिलिन

All India handloom fabrcs marketing cooperative society Limited

7909. SHRI MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI; Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether the All India Hand loom Cooperative Sociey Limited had its Head Office (Registered Office at Bombay since its inception; if so, the reasons for shifting the office from Bombay;

(b) whether the All India Hand loom Society is still paying the rent for the building at D.N; Road, Bom bay which was damaged in fire in the year 1982;

(c) whether the above building has been renovated; if not the reasons therefor and the reasons for misutilising the funds of the society in this way;

(d) whether the employees are entitled to get the variable Dearness. Allowance according to Government announcement; if not, the reasons therefor; and

(e) whether the society had sold its assets of Export Department situated at Bombay (Suri Godown); if so, the reasons therefor; and the amount received and the purpose for which the amuont were utilised?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKATSWAMY); (a) Yes, Sir. All India Handloom Fabrics Marketing Cooperative Society Limited has informed their Registered Office / Head Office was shifted from Bombay to Delhi during the year 1987 for better coordination with various Agencies.

(b) The Society has informed that they are not paying any rent for the damaged building at No. 221, Dr. D. N, Road, Bombay.

(c) The Society had been a tenant of the building at No. 221, Dr. D. N. Road, Bombay which was gutted in fire in the year 1982. The Society has informed that they had paid an advance of Rs 10/- lakhs to the Landlord for carrying out the reconstruction work of the building but subsequently the Landlord returned the said sum.

(d) As regard the Pay & Allow ance of the employees are concerned, it has been reported by the Society that the same are determined from time to time between the Management and Workers' Union/Represen tatives. As per the bilateral agreement reached between the Employees' Representatives and the Management . from time to time, Pay & Allowances of the employees are determined and hence it is not based on variable D.A.